संख्या– 701/पचासी–2011–16(परती भूमि)/08टीसी0

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
विभूति खण्ड,गोमतीनगर,
लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊ:दिनांक: 23 दिसम्वर, 2011

विषय–उ0प्र0 भूमि सुधार निगम व्दारा संचालित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेंशन तृतीय परियोजना के अन्तर्गत चार नये जनपदों यथा–कांशीराम नगर,बुलन्दशहर,छत्रपति शाहूजी महाराज नगर एवं अम्बेडकर नगर को सम्मिलित किये जाने की सैध्दान्तिक स्वीकृति।

महोदया,

विश्व बैंक के वित्त पोषण से उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना प्रदेश के 25 जनपदों में उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित की जा रही है। परियोजनान्तार्गत 1.30 लाख हे0 ऊसर भूमि तथा 0.05 लाख हे0 बीहण भूम्रि का सुधार किया जाना है।

2– इस योजना के अन्तर्गत 25 जनपद यथा–अलीगढ़, फिरोजाबाद,मैनपुरी, फर्रूखाबाद, औरेया, कानपुर, रमाबाई नगर, फतेहपुर, इलाहाबाद, कन्नौज, कौशाम्ब,प्रतापगढ़,गाजीपुर, जौनपुर,इटावा,सन्त रविदास नगर, आजमगढ़,एटा,लखनऊ,उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, सुल्तानपुर एवं बाराबंकी को सम्मिलित किया गया है तथा बीहड, सुधार परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) 2 जनपद यथा फतेहपुर एवं रमाबाई नगर में संचालित की जा रही है। उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना को विश्व बैंक के वित्त पोषण से कियान्वित करने के लिए मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 26 फरवरी,2009 में सैद्धान्तिक सहमति दी जा चुकी है।

3– विश्व बैंक के मानक के अनुसार सुधार हेतु क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण विश्व बैंक द्वारा उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना तृतीय के अन्तर्गत उक्त 25 जनपदों के साथ ही 04 अतिरिक्त जनपदों यथा कांशीराम नगर, बुलन्दशहर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर एवं अम्बेडकर नगर को और सम्मिलित करने पर सहमति व्यक्त की गयी है। अतः इस प्रकार सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना के अन्तर्गत यह योजना 25 +4 अर्थात 29 जनपदों में कियान्वित किया जाना है। उक्त चार जनपदों में कार्य हेतु पूर्व निर्धारित परिव्यय तथा षर्तो के अधीन ही उपलब्ध अधिकारियों/ कर्मचारियों से ही कार्य कराया जायेगा। इस अतिरिक्त कार्य का समायोजन विष्व बैंक द्वारा निर्धारित परिव्यय के अन्दर ही किया जायेगा। अतः कोई वित्तीय उपाशय निहित नहीं है।

4– उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना तृतीय को प्रदेश के 4 अतिरिक्त जनपदों यथा कांशीराम नगर, बुलन्दशहर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर एवं अम्बेडकर नगर को सम्मिलित

D

करते हुए यह योजना अब 29 जनपदों में कियान्वित की जायेगी जो मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 26–2–2009 की शर्तों के अधीन होगी।

5– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना तृतीय को प्रदेश के 29 जनपदों में कियान्वित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–701 (1)/पचासी–2011–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी(प्रथम)/लेखा परीक्षा(प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– निदेशक, कृषि विभाग,उ0प्र0,कृषि भवन,लखनऊ।
6– विशेष सचिव,गोपन अनुभाग–1 को, उनके पत्र संख्या–4/ 3/ 16/2011– सी0एक्स0 (1), दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 के अनुकम में।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1,उ0प्र0शासन।
8– अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाल)
अनु सचिव।

23/12/2011

D